राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1. अपील संख्या 453/2012/सीकर
2. अपील संख्या 454/2012/सीकर

मैसर्स मारूति सीमेन्ट प्रा0लि0, खण्डेला सीकर। .....अपीलार्थी.

बनाम्

1. उपायुक्त (अपील्स) तृतीय,
   वाणिज्यिक कर, जयपुर।
2. सहायक आयुक्त, वा0कर, सीकर। .....प्रत्यर्थीगण

खण्डपीठ
श्री खेमराज, अध्यक्ष
श्री मदन लाल, सदस्य

उपस्थित : :

श्री सी.बी.अग्रवाल, अभिभाषक । .....अपीलार्थी की ओर से.

श्री एन.के.बैद,
उप–राजकीय अभिभाषक। .....प्रत्यर्थीगण की ओर से.

निर्णय दिनांक : 18.04.2017

निर्णय

1. अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह अपीलें उपायुक्त (अपील्स) तृतीय, वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा अपील संख्या डिफेक्ट/अपील्स–III/2005–06 में पारित आदेश दिनांक 09.11.2011 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसमें अपीलार्थी व्यवहारी ने सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, वार्ड प्रथम, वृत सीकर (जिसे आगे **"निर्धारण अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1996 (जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) की धारा 9 एवं राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1954 की धारा 10(सी) के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 21.07.1997 के जरिये सृजित मांग राशियां रूपये 16,84,420/– एवं 18,070/– को अपीलीय अधिकारी द्वारा पुष्टि किये जाने को विवादित किया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि व्यवहारी द्वारा वर्ष 1994–95 के बिक्री विवरण प्रपत्र देरी से प्रस्तुत किये जाने के आधार पर आरएसटी एवं सीएसटी के तहत कर निर्धारण आदेश पारित करते हुए वाणिज्यिक कर अधिकारी, विशेष वृत पंचम, जयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.07.1997 द्वारा करारोपण करते हुए सीएसटी के तहत राशि रूपये 19,86,910/– एवं आरएसटी के तहत 18,070/– की मांगे सृजित की गई, जिससे व्यथित होकर व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपीलें प्रस्तुत किये जाने पर अपीलीय अधिकारी ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 09.11.2011 द्वारा व्यवहारी की अपीलें इस आधार पर अस्वीकार कर दी कि व्यवहारी ने अधिनियम की धारा 84 की उपधारा (3) सपठित राजस्थान विक्रय कर नियम, 1995 के नियम 30 के उप नियम (1) के तहत देय राशि जमा नहीं करवाई है, उक्त राशि जमा कराने के पश्चात ही अपीलें प्रस्तुत कर सकता है, यदि राशि जमा नहीं कराता है तो अपील डिफेक्ट में ग्रहण/सुनवाई के योग्य नहीं होती है। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेशों से व्यथित होकर यह अपीलें अपीलार्थी द्वारा कर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

3. उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

4. अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपीलों में अधिनियम की धारा 84 की उपधारा (3) सपठित राजस्थान विक्रय

लगातार.....2

का नियम, 1995 के नियम 30 के उप नियम (1) के तहत देय राशि जमा कराने में असमर्थ है। इस कारण अपील की सुनवाई हेतु विधिनुसार जमा कराई जाने वाली राशि को अधितज्य (Waive) करने हेतु निवेदन करते हुए प्रस्तुत अपीलों का निस्तारण गुणावगुणों पर करने का निवेदन किया। साथ ही उन्होंने निवेदन किया कि राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना एफ4 (8)एफडी/ग्रुप–चतुर्थ/94/70 दिनांक 07.03.1994 के अनुसार सीमेन्ट पर सीएसटी के तहत 4 प्रतिशत कर दर बिना घोषणा पत्र सी एवं डी के तहत निर्धारित है एवं अन्तर्राज्यीय बिक्री पर 16 प्रतिशत से करारोपण किया जाना अविधिक है। व्यवहारी कम्पनी को वित्तीय वर्ष 1995–96 में अत्यधिक आर्थिक हानि हुई है एवं वे इस स्थिति में नहीं है कि मांग राशि का 20 प्रतिशत अधिनियम की धारा 84(3) के तहत जमा करा सकें। अतः उन्होंने प्रस्तुत अपीलों को स्वीकारते हुए अपीलीय अधिकारी के आदेशों को अपास्त करने का निवेदन किया।

6. बहस के दौरान विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता द्वारा निर्धारण अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी के आदेशों का समर्थन करते हुए कथन किया गया कि अपीलार्थी अधिनियम की धारा 84 की उपधारा (3) सपठित राजस्थान विक्रय कर नियम, 1995 के नियम 30 के उप नियम (1) के तहत देय राशि जमा कराने के पश्चात ही अपीलें प्रस्तुत कर सकता है, यदि नहीं कराता है तो अपील डिफेक्ट में ग्रहण/सुनवाई के योग्य नहीं होती है। अपीलार्थी को डिफेक्ट दूर करने हेतु काफी समय पहले ही मिल चुका है तथापि निर्देश दिये जाने के बावजूद भी राशि जमा कराने में असमर्थता प्रकट की है। अतः उन्होंने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपीलें अस्वीकार करने का निवेदन किया।

7. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रकरणों में व्यवहारी ने मांग राशियों का 20 प्रतिशत जमा कराये बिना ही अधिनियम की धारा 84 के तहत अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपीलें प्रस्तुत की है। अधिनियम की धारा 84(3) का विवरण निम्नानुसार है :–

" 84. Appeal to the appellate authority -
(1).....
(2).....
(3) Nothwithstanding anything contained in sub-section(4) of section 42, no appeal under this section shall eb entertained unless it is accompanied by a satisfactory proof of the payment of tax or other amounts admitted by the appellant ot be due from him or of such instalment thereof as might have become payable, or twenty percent of the tax or other amounts assessed, whichever is higher, but the appellate authority may, for reasons to be recorded in writing wave or relax the requirement of depositing of twenty percent of the amount of disputed demand.

अधिनियम के नियम 30 का विवरण निम्नानुसार है :–

"30. Appeal to the Appellat Authority (1) The memorandum of appeal under section 84 shall be submitted in from ST 8 in duplicate, and shall be accompained by the proof of payment of tax or other sum payable in accordance with sub-section (3) of the said section, in the form of treasury receipt/bank challan in form ST 10"

अधिनियम की धारा 84(3) अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार तथापि अपीलीय अधिकारी जमा की आवश्यकता को वेव (Wave) कर सकते है, परन्तु नियमों में वाक्यांश **"Shall be accompanied by proof of payment"** अंकित है अतः नियम 30 को मध्यनजर रखते हुए

लगातार.....3

अपीलीय अधिकारी के समक्ष मांग राशियों का 20 प्रतिशत जमा करवाया जाना बाध्यकारी है एवं उसके अभाव में अपीलें पोषणीय नहीं मानी जा सकती है। अतः अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेशों में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होने से उनकों यथावत रखा जाता है एवं व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत दोनों अपीलें पोषणीय नहीं होने से बिना गुणावगुणों को प्रभावित किये हुए अस्वीकार की जाती है।

निर्णय प्रसारित किया गया।

18.4.2017

(मदन लाल)
सदस्य

(खेमराज)
अध्यक्ष